



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

कार्यालय
वन मण्डल विदिशा

ई-मेल. dfotvidisha@mp.gov.in, दूरभाष- 07592- 232967, फ़ैक्स- 236976

उपयोगिता एवं प्रबंधन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित सेमलखेडी लघु सिंचाई परियोजना विस्तार में प्रभावित कुल 70.880 हेक्टेयर वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सामान्य वन मण्डल विदिशा के परिक्षेत्र सिरोंज अन्तर्गत राजस्व भूमि के खसरा क्रमांक 1/1,1/1/1 मिन 2, 4/3, 5/2, 48, 49, 18/1 एवं 228/1 में वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि 70.880 हेक्टेयर अतिक्रमण रहित वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त एवं प्रबंधन की दृष्टि से भी उपयुक्त है।


वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, विदिशा